IF : 3.62 | IC Value 80.26

Volume-5, Issue-12, December - 2016 • ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper

Education

मुरैना जिले का कृषि प्रतिरूप : समस्यायें एवं समाधान

अजय सिंह सिकरवार | शोध छात्रा शा.एम.एल.बी. उत्कृष्ठ महाविद्यालय ग्वालियर

डॉ.अतीन्द्र सिंह तोमर | विभागाध्यक्ष भूगोल डॉ. भगवत सहाय शा.महाविद्यालय ग्वालियर

KEYWORDS :

भोजन, वस्त्रा और आवास मानव जीवन की अनिवार्य आवष्यकतायें हैं इनमे भोजन तो जीवन का आधर है। भोजन आपूर्ति का साध्न है कृशि। कृशि भारतीय जीवन, संस्कृति एवं अर्थ का आधार है। कृशि इस देष का प्रमुख व्यवसाय है। मुरेना जिले का भी प्रमुख व्यवसाय कृशि ही है। इस जिले के भौगोलिक परिवेष ने भी कृशि को प्रोत्साहित किया है। मुरैना में कृशि व्यवसाय ही नहीं, अपितु ध्र्म एवं जीवन दर्षन है। इस क्षेत्रा का कृशक अपनी कृशिभूमि पर गर्व एवं गौरव का अनुभव करता है। किन्तु वर्तमान परिस्थितवष यहां के कृशक वडी संख्या में अपने इस परम्परागत व्यवसय से पलायन कर रहे है। युवा पीडी की तो इस व्यवसाय में कोई रूचि नहीं है। इसका प्रमुख कारण इस व्यवसाय में दिनों – दिन वढता घाटा एवं वढती जनसंख्या, प्राकृतिक प्रकोप कृशि लागत का वढना आदि।

कृशि विकास का अर्थ है कि कृशि की निम्न उत्पादकत वाली परम्परागत पद्धति में परिवर्तन करमे उसे उच्च उत्पादकत से युक्त कर एक वैज्ञानिक एवं असध्ुनिक स्वरूप प्रदान करना है। वर्तमान समय में देष की वढती जनसंख्या को देखते हुये कृशि उत्पादन में वृद्धि करना आवष्यक है, ताकि वढती जनसंख्या के भरण – पोशण की व्यपस्था हो सके इस के लिये उद्यानिकी पफसलों का विस्तार किया जाय जिससे देष, राज्य, जिला आदि के कृशको की आय मे वृद्धि हो सके और कृशि घाटे के व्यवसाय के स्थान पर लाभदायक व्यवसाय में परिवर्तित हो सके। कृशि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिये आवष्यक है कि परम्परागत जीवन निर्वाह कृशि पद्धति के स्थान पर उद्यानिकी कृशि को बढावा दिया जाय।

अध्ययन क्षेत्रा

मुरैना जिला चम्बल संभाग में मध्यप्रदेष के पष्चिमोत्तर कोने में स्थित है जो 25°22′ उत्तरी अक्षाँ से 26°52′ उत्तरी अक्षाँ तथा 76°10′ से 78°42′ पूर्वी दैंान्तर के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रा 4998.78 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 6 तहसीलें तथा 7 विकासखण्ड है। 2001 की गणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1592714 है जिले में 501686 हेक्टेयर क्षेत्रा पर कृ्शि की जाती है।

अध्ययन का उद्देष्यः–

अध्ययन में कृशि विकास मे आने वाली समस्याओं को ज्ञात कर उनका समाधन निकालना।

अध्ययन क्षेत्रा में पारम्परिक कृशि घाटे का सोदा है। जिस कारण कृशक एवं मजदूर पलायन कर रहे है उन्हें उद्यानिकी कृशि जैसी लाभकारी व्यवसाय की जानकारी देकर पलायन से रोका जा सकता है।

खाद्यान्नों और व्यपारिक पफसलों के उत्पादन मे वृद्धि की नवीन पद्धतियों को अपनाने के मार्ग में बाधओं की पहचान करना तथा उनके समाधन हेतु उचित सुझाव देना।

डद्यानिकी पफसलों को लगाने के लिये कृशकों मे जागरूकता लानां

डद्यानिकी पफसलों के विकास के लिये उपयक्त क्षेत्रा का चयन करना, पडती एवं बंजर भूमि मे उद्यानिकी पफसले करने की सम्भावनओं का पता करना।

परिकल्पनाः–

अध्ययन क्षेत्रा में निरंतर तीव्र गति से जनसंख्या वृ(हो रही है जिस कारण भूमि पर प्रति व्यक्ति भार वढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर कमी हो रही है। कृशक एवं मजदूर षहरों की तरपफ पलायन कर रहे है। अतः परम्परागत कृशि प्रतिरूप में बदलाव की आावष्यकता है। औशधिय कृशि लाभगारी व्यवसाय है। अतः कृशकों की आय में वृ(होगी, उनका षहरों की तरपफ पलायन रूकेगा, कृशकों के जीवन स्तर में सुध्र होगा।

अध्ययन प(तिः–

अध्ययन को सरल, व्यवस्थित, वैज्ञानिक आधर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विध्यिों का उपयोग किया जावेगा।

सर्वेक्षण :– अध्ययन क्षेत्रा मे उद्यानिकी कृ्शि की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये क्षेत्रा का भ्रमण किया गया तथा अवलोकन एवं साक्षातकार द्वारा उद्यानिकी पफसलों के लिये उपयुक्त क्षेत्रा का चयन किया है।

समंको संकलन :– अध्ययन मे द्वितियक समंको का संकलन विभिन्न ध्ासकीय, अद्व ाासकीय कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, संगठनों से किया गया है। उद्यानिकी कृ्शि से सबंधित समंक कृ्शि विभाग, कृ्शक प्रषिक्षण केन्द्र, कृ्शि महाविद्यालय, कृ्शिपफार्म, सिंचाई विभाग कार्यालय भू अभिलेख आदि से संकलित किये गये है।

प्राप्त समंको को सारणीवद्ध कर सांख्यकीय विध्यिों द्वारा विष्लेशण कर निश्कर्श निकाले गये है।

मुरैना जिले का कृशि भूमि उपयोग प्रतिरूप

मुरैना जिले के भूमि उपयोग प्रतिरूप को सात श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

मुरैना जिले का भौगोलिक क्षेत्रापफल– मुरैना जिले का भौगोलिक क्षेत्रापफल 501686 हेक्टेयर है। जिसमें पोरसा विकास खण्ड का 54919 हेक्टेयर, अंम्बाह विकास खण्ड का 51122 हेक्टेयर मुरैना विकास खण्ड का 106698 हेक्टेयर, जौरा विकास खण्ड का 66847 हेक्टेयर, पहाड़गढ़ विकास खण्ड का 92495 हेक्टेयर कैलारस विकास खण्ड का 52115 हेक्टेयर सबलगढ़ विकास खण्ड का 77490 हेक्टेयर है ।

वनक्षेत्रा– मुरैना जिले में 50669 हेक्टेयर क्षेत्रा में वन है। विगत 10 वर्शो में मुरैना जिले के वन क्षेत्रा में कोई वृ(नहीं हुई है। मुरैना जिले में वनों के मानक स्तर ;33 प्रतिषतद्ध से कम वन पाये जाते है।

कृशि के लिये अनुपलब्ध भूमि– भूमि के इस संवर्ग के अर्न्तगत ऊसर भमि, कृशि के लिये अनुपयुक्त भूमि, कृशि को छोड़कर अन्य कार्यो के लिये प्रयुक्त भूमिक आती है मुरैना जिले में कृशि के लिये अनुपलब्ध भूमि 134504 हेक्टेयर है।

अन्य अकृशि भूमि ;परती भूमि सम्मिलित नहीद्ध – अन्य अकृशि भूमि के संवर्ग के अन्तर्गत मुस्तरकलि चारागाह तथा कृशि के लिये बेकार भूमि ;द्ध आती है। मुरैना जिले में अन्य अकृशि भूमि 19915 हेक्टेयर है इस संवर्ग की सर्वाध्कि भूमि 4249 हेक्टेयर मुरैना विकास खण्ड में है जो जिले की कुल अन्य अकृशि भूमि की 21.33 प्रतिषत है।

कृशि योग्य भूमि– कृशि योग्य भूमि के अन्तर्गत वह भूमि आती है, जिसमें कृशि नही की जाती है, किन्तु कुछ सुधर के उपरान्त कृशि संम्भव है। मुरैना जिले में कृशि योग्य भूमि 23556 हेक्टेयर है। जो कृशि योग्य भूमि की 39.96 प्रतिषत है। सर्वाध्कि कृशि योग्य भूमि पहाड़गढ़ विकास खण्ड में 9413 हेक्टेयर है । इस विकास खण्ड में सर्वाध्कि कृशि योग्य भूमि होने के कारण सिंचाई की समुचित सुविध्ओं का आभाव तथा असमतल ध्रातल है।

परती भूमि– मुरैना जिलमें मे परती भूमि 12913 हेक्टेयर है सबसे अध्कि परती भूमि मुरैना विकास खण्ड में 4223 हेक्टेयर है जो जिले की कुल परती भूमि की 32.क70 प्रतिषत है सिंचाई सुविध्ओं के अभाव अथवा भूमि की उर्वरता में वृ(के लिये कभी–कभी भूमि परती छोड़ दी जाती है।

पफसली क्षेत्रा– वर्तमान में जिस भूमि पर कृशि की जाती है, उसे पफसली क्षेत्रा कहते है। पफसली क्षेत्रा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है– निरापफसली क्षेत्रा, द्विपफसली क्षेत्रा, कुल पफसली क्षेत्रा निरापफलसली और द्वि पफसली क्षेत्रा का योग कुल पफसली क्षेत्रा है।

निरापफसली क्षेत्रा– मुरैना जिले में 260129 हेक्टेययर है जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रापफल का 51.85 प्रतिषत है। सबसे अध्कि निरापफसली क्षेत्रा 65196 हेक्टेयर मुरैना विकास खण्ड में है, जो जिले के कुल निरापफसली क्षेत्रा का 25.06 प्रतिषत है। इस विकास खण्ड की भौगोलिक विषलता तथा सिंचाई की समुचित सुविध्ओं की उपलब्ध्ता है।

द्विपफसली क्षेत्रा– जिस कृशि में दो पफसले पैंदा की जाती है उसे द्विपफसली क्षेत्रा कहते है। दों पफसलें, वहाँ सम्भव है, जहाँ सिंचाई की समुचित सुविध्यें उपलब्ध होती है। मुरैना जिले में 61336 हेक्टेयर क्षेत्रा द्विपफसली है, जो निरापफसली क्षेत्रा का 23 प्रतिषत है सर्वाध्कि द्विपफसली क्षेत्रा मुरैना विकास खण्ड में 13049 हेक्टेयर है, जो जिले के कुल द्विपफसली क्षेत्रा का 21.28 प्रतिषत है, सबसे कम द्विपफसली क्षेत्रा पहाड़गढ़ विकास खण्ड में 5171 हेक्टेयर है जो जिले के कुद द्विपफसली क्षेत्रा का 8.36 प्रतिषत है।

सकल पफसली क्षेत्रा– निरापफसली क्षेत्रा और द्विपफसली क्षेत्रा का योग सकल पफसली क्षेत्रा है। मुरैना जिले में सकल पफसली क्षेत्रा 321465 हेक्टेयर है, जो कुल

भौगोलिक क्षेत्रा का 64.08 प्रतिषत है सर्वाध्कि सकल पफसलीक्षेत्रा मुरैना विकास खण्ड में 78245 हेक्टेयर है। जो जिले के सकल पफसली क्षेत्रा का 24.34 प्रतिषत है सबसे कम सकल पफसली क्षेत्र 34161 हेक्टेयर कैलारस विकास खण्ड में है जो जिले के सकल पफसली क्षेत्रा का 10.63 प्रतिषत है। मुरैना जिले में विभिन्न विकास खण्ड़ों का भूमि उपयोग निम्न सारणी में प्रदर्षित है।

समस्यायें :–
उपयुर्क्त अध्ययन से स्पश्ट है कि अध्ययन क्षेत्रा में आज भी पारम्परिक विध्यिों से कृशि की जा रही है। तथा सिंचाई सुविधओं का विकास कम हुआ है। सिंचाई सुविध ाओं की कमी के कारण उत्पादकता कम है क्षेत्रा में उर्वरको का सुतुलित मात्राा में प्रयोग नही किया जाता है। उन्नत किस्म के वीजो का भी कम प्रयोग किया जारहा है। जिले में अपेक्षाकृत कम यंत्राीकरण हुआ है।

यहां विचारणीय तथ्य है कि निरन्तर वर्श पर्यन्त कृशकों का खेतो में कार्य करने के वावजूद विपन्नता दिनो दिन वढ़ती जा रही है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी हो रही है। परिणम स्वरूप कृशक कृशि कार्य को छोडकर अन्य व्यवसाय की ओर जा रहे है। या आत्महत्या कर रहे है। भारत मे सन 2007 से 2012 के बीच 3.2 करोड किसानो ने कृशि कार्य छोड दिया है। तथा युवा पीढी में तो इस व्यवसाय के प्रति कोई रूचि नहीं है। यदि यही स्थिति निरन्तर चली रही तो भारत में खाद्यानो पर अत्म निर्भरता समाप्त हो जायेगी और देष को एक गम्भीर खाद्य समस्या का सामना करना पडेगा।

जैवन निर्वाह कृशि पद्धति के स्थान पर लाभदायक औशध्यि कृशि, पफूलो, मसालो जैसी उद्यानिकी कृशि के लिये तैयार कर प्रषिक्षित करना होगा। कृशक उत्पाद को उचित मूल्य पर क्रय करने की भी व्यवस्था करनी होगी। अध्ययन क्षेत्रा में खण्ड भूमि का विस्तार चम्बल क्वारी और सांक नदियों घाटियों के समानान्तर एक से 06 कि.मी. चौडी पट्टी में पफेला है इस खड्ड भूमि में पहले कापफी मात्राा में प्राकृतिक बनस्पति के साथ औशधेय पोध्े भी थे किन्तु बन विनाष के साथ ही औशध्यि पोध्े लुप्त होते जा रहे है। इस सम्पूर्ण खड्ड भूमि में पुनः औशध्यि पोध्े पफलो के वृक्ष, पफूलो के पोध्े तथा मसाले एवं सब्जियो की कृशि की जा सकती है। इससे इस क्षेत्रा का मृदा अपरदन रूकेगा तथा प्राप्त उत्पादन से कृशको की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी इसी प्रकार पहाड़गढ़ एवं सबलगढ़ के बन क्षेत्राो में भी औशध्यि एवं उद्यानिकी कृशि की जा सकती है। इन क्षत्राो में वच, अर्जुन, बहेरा, सहजना, गिलोय, आदि औशध्यि पोध्े अनार, अमरूद, पपीता, नीबू, आम आदि पफलो के पोध्े गेंदा गुलब जैसे पफूलो के पाध्े टमाटर, आलू, मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, बैगन जेसी अनेक सब्जियां तथा मसालों की कृशि की जा सकती है। इसके लिये निम्न प्रयास करने होगें।

1. जनजागृति–
औशधेय कृशि के महत्व के बारे में अध्ययन क्षेत्रा के कृशकों में जाग्रति होना अनिवार्य है। इसके आर्थिक लाभ एवं सामाजिक उपयोग के बारे में जब कृशकों को जानकारी होगी तब कृशक स्वतः ही इसकी कृशि करने लगेगा। समाज में सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मनुश्य के स्वास्थ्य के लिये इतनी अनिवार्य प्राकृतिक औशधेय वनस्पति को मनुश्य अज्ञानतावष विलुप्त कर रहा है।

2. षासकीय प्रयास–
षासन एवं प्रषासन को औशधेय कृशि के विकास हेतु ग्राम स्तर पर प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा औशधेय कृशि के बीज सस्ते करने वाले कृशकों को इस कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।
3. औशधेय उत्पाद हेतु बाजार का विकास–

षासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रामीण अंचलों के ऐसे कृशकों जो औशधेय कृशि उत्पाद का विक्रय करना चाहें, आवष्यकतानुसार तुरन्त उन्हें वाजिव मूल्य मिल सके। नये बाजारों को विकसित करने तथा रिक्तता की पूति हेतु नये बाजार केन्द्रों की स्थापना की जा सकती हे। नये बाजारों के स्थापना की ब्तपजमतपं का आधर उपभोक्ता प्रमुखता, अभिगम्यता, केन्द्रीयता, परिवहन सुविध तथा बाजार केन्द्रों की स्थिति की उपयुक्तता होनी चाहिये।

4. दलाली प्रथा का समाप्त किया जाना–
कृशि पदार्थो के विपणन के साथ अभी भी दलाली प्रथा विद्यमान है इस प्रथा के कारण कृशकों के ऐसे उत्पाद कम मात्राा में होते हैं तथा उन पर आधरित उद्योग दूरस्थ अंचलों में होते हैं, दलालों के द्वारा वह नीची कीमत पर क्रय किया जाता है जिससे कृशकों को घाटा होता है। लागत अध्कि लाभ कम होने से औशधेय कृशि उत्पाद के सन्दर्भ में दलाली प्रथा समाप्त कर सीध्े षासकीय स्तर पर उचित मूल्य में खरीदी व्यवस्था किये जाने से लाभांष बढ़ेगा, जिसेस औशधेय कृशि की ओर लोगों का रूझान बढ़ेगा।

5. सूचना केन्द्रो का विकास–
यदि कृशकों को मूल्य स्तर, माल की आवक और अन्य सुविधयें जैसे मण्डी, षासकीय विपणन केन्द्र, कृशकों के लाभ हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का संचयन आदि प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राथमिक सेवाओं जैसे डाकघर, तार ऑपफिस आदि आनुपातिक ढंग से वितरित हों, ग्रामीण क्षेत्राों में समाचार पत्राों का नियमित वितरण तथा रेडियो एवं दूरदर्षन क्षेत्राों का विकास के द्वारा ये सुविधयें प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में कृशक प्रषिक्षण तथा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम भी कृशकों को मूलभूत सूचनायें उपलब्ध करा सकता है। रेडियो द्वारा कृशि जगत कार्यक्रमों का प्रसारण कृशि एवं विपणन सुविधओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

6. अन्य संस्थागत कारक–
औशधेय कृशि के विकास के लिये किसी निष्चित समय तथा स्थान पर विनिमय पर आधरित कृशकों के भूमिका की उत्पादकता का निर्धरण तथा रोजगार सुविधयें उत्पन्न किये जाने की व्यवस्था के केन्द्रों का विकास आवष्यक है। ऐसे केन्द्र 5 या 10 ग्रामों के समूहों की स्थिति के अनुसार विकसित किये जाने चाहिए। विभिन्न सहायक संस्थायें जैसे स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, चिकित्सालय, मनोरंजन स्थल, स्थानीय स्वषासन एवं अन्य प्रषासकीय कार्यालय सामुदायिक केन्द्र, विद्युत आपूर्ति केन्द्र, सिंचाई के साध्नों का विस्तार, औशधेय कृशि के लिये नवाचर केन्द्रों के स्थापनर आदि की आवष्यकतानुसार मदद की जानी चाहिए।

मुरैना जिले में औशधेय कृशि के क्षेत्रा में लगभग न के बराबर विकास हुआ है किन्तु चम्बल, क्वारी, सांक का मध्यवर्ती उपजाऊ समतल मैदान चम्बल नहर से सिंचाई की सुविध तथा सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रा में विद्युत विस्तार के कारण विद्युत पम्पों से सिंचाई की सुविध, हरितक्रांति के प्रभाव, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु सम्पूर्ण क्षेत्रा में सड़कों के जाल के कारण नगदी, पफसलों के क्षेत्रा एवं उत्पादन में कापफी अध्कि वृ(हुइ हैं। उपरोक्त सभी सुविधयें औशधेय कृशि के लिये भी अनुकूल हैं। आवष्यकता केवल क्षेत्रा के कृशकों में औशधेय कृशि के प्रति जागृति की है। उनमें इस कृशि के महत्व तथा लाभ के बारे में जानकारी देने की है। उन्हें इस कृशि के बारे में प्रषिक्षण देने की है। पिफर वह दिन दूर नहीं कि मुरैना जिला औशधेय कृशि के लिये सम्पूर्ण देष में जाना जायेगा।

उपरोक्त प्रयासों के द्वारा धेरे – धेरे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रा के कृशि प्रतिरूप में परिर्वतन किया जा सकता है। तथा कृशि को घाटे के व्यवसाय से लाभ के व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा बढती बेरोजगारी एवं कृशि क्षेत्रा में पलायन को भी रोका जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ –

कुमार,प्रमिला : 1987 मध्यप्रदेष का प्रादेषिक भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, म.प्र. भोपाल।

चन्द्रा, वीरेन्द्र : 2003 सुगंधेय पौधें की खेती, कृशि सूचना एवं प्रकाषन निदेषालय, भारतीय कृशि अनुसंधन, परिशद, नई दिल्ली।

चन्द्रा, वीरेन्द्र एंवः 2006 जड़ी–बूटियों की खेती, कृशि एवं सूचना प्रकाषन निदेषालय,

पाण्डेय, मुकुलचंदः भारतीय कृशि अनुसंधन परिशद नई दिल्ली।

चौहान, एन.एस.,: 1997 औशधेय एवं सुगंधेय पौधें की खेती की आवष्यकता क्यों? उद्यमिता भोपाल ;म.प्र.द्ध

जरयाल, गुरूपाल सिंहः 2001 व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त औशधेय पौध्े, ;प्रथम से तृतीय संस्करणद्ध सेडमैप प्रकाषन, भोपाल।

जरयाल, गुरपाल सिंहः 1997 औशधेय पौधें की विपणन निर्देषिका ;तृतीय संस्करणद्ध सेडमैप प्रकाषन भोपाल।

मौर्य, के, आर.ः 2002 मसालों की खेती, सरोज प्रकाषन इलाहाबाद।

तिवारी,ज्वाला प्रसादः 2001 औशधेय पौध्े–कृशि एवं उपयोग, अभिनव प्रकाषन जबलपुर।

प्रतिवेदन एवं आलेखः
1. ग्वालियर राज्य 1912 ग्वालियर स्टेट गजेटियर वोल्यूम–1 स्टेण्डर्ड प्रेस इलाहाबाद।
2. ग्वालियर राज्य 1944 सेन्सस ऑपफ इण्डिया वोल्यू–20 ग्वालियर सेन्सस कमिष्नर अलीजाह दरबार प्रेस लष्कर।